देवीसिंह V/S भूमिस्वामी

प्रा.पत्र 381/2023 (2023/299)

04/9/2023 उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी एवं पेशकार सरकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 को प्रेषित रजिस्टर्ड नोटिस की प्राप्ति रसीद अथवा अदम नोटिस प्राप्त नहीं। रजिस्ट्री कराए एक माह हो चुका है, अतः इनकी तामील मानी जाती है। विपक्षी सं. 02 अनुपस्थित आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विरूद्ध विपक्षीगण एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित [illegible] आराजी नम्बर 13 मी रकबा 0.99 हे. है। उपरोक्त आराजी भूमि में कुल नम्बर 13 रकबा 1.42 हे. था जिसमें से प्रार्थीगण ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01/07/2015 को क्रेता नीलमा बोरट को पश्चिम दिशा में 0.43 हे. भूमि विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया जिसका राजस्व रेकार्ड में जरिए नामा० संख्या 522 दिनांक 17/09/2015 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरण तस्दीक होने पर राजस्व नक्शे में जो तरमीम किया गया वह पश्चिम दिशा के बजाय पूर्व दिशा में तरमीम की गई जमीन का तरमीम कर 675/13 को नंबर क्रेता नीलमा के नाम राजस्व नक्शे में दर्ज कर दिए हैं, जो कि विक्रय विलेख के अनुसार त्रुटिपूर्ण है, जिसका सुधार किया जाना न्यायोचित है।

.... लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ⓑ · पत्र 381/2023 (2023/299)

प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी आ.सं. 13 रकबा 1.42 हे. मे से 0.43 हे. भूमि पश्चिम दिशा की विक्रय की गई है, जिसका विक्रय विलेख मे स्पष्ट उल्लेख है एवं जो ना.सं. 422 फैसल हुआ उसमे भी प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 13 मे से 0.43 हे. भूमि पश्चिम दिशा की विक्रय करना उल्लेखित है, लेकिन नक्शे मे तरमीम पश्चिम के बजाय पूर्व दिशा मे कर दिया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आ.नं. 675/13 रकबा 0.43 हे. को राजस्व नक्शे मे आ.नं. 13 की रकबा 0.99 के पूर्व दिशा के बजाय पश्चिम दिशा मे अंकित किए जाने की इन्द्राज दुरुस्ती का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 02 का अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। पटवारी हल्का ने जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम खेरी पारजात नामा.सं. 422 व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सं. 2013008365 दिनांक 01/07/2013 अनुसार नक्शे मे तरमीम किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर पक्ष प्रकरण उभय पक्ष पर गहनता से मनन किया। पत्रावली मे संलग्न विक्रय विलेख की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट

.... लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्र.पत्र 381/2023 (2023/299)
ता. की 380 08-08-23	है कि ग्राम खेरी-चारणान तहसील चित्तौड़ स्थित आराजी संख्या 13 रकबा 1.52 हे. में प्रार्थिया के द्वारा नीलाजा बरहठ को उक्त आराजी के पश्चिम दिशा की रकबा 0.53 हे. भूमि विक्रय की गई। विक्रय की गई जमीन के पड़ोस विक्रय पत्र अनुसार → पूर्व में - इसी आराजी नं. 13 का शेष रकबा। पश्चिम में - किशन कुमावत की खातेदारी भूमि। उत्तर में - नरोपा जाने का रास्ता तथा दक्षिण में - रतन कुमावत का खेत है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया द्वारा ग्राम खेरी-चारणान की आराजी संख्या 13 रकबा 1.52 हे. में से विपक्षी संख्या 02 को विक्रय किया गया रकबा 0.53 हे. की नामांतरण संख्या 522 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर राजस्व नक्शे में किए गए तरमीम को दुरुस्त किया जाकर प्रार्थिया द्वारा विक्रय किए गए रकबा को विक्रय विलेख में वर्णितानुसार पश्चिम दिशा में तथा विक्रय विलेख में वर्णित पड़ोस अनुसार अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़